परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.21

यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 कि0मी0 की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.22

यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अर्न्तगत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहाकार वोर्ड भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.23

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
जागेश्वर सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो टकोली बैण्ड से कड़ुड़ा तक सड़क का सर्वेक्षण कार्य हुका है, उसमें ग्राम पंचायत ढूंली, नौरा, बघाड़, बलमा व कड़ुड़ा को कोई आपत्ति नहीं है।

Shobha
प्रधान
ग्राम पंचायत ढूंली,
पो० ओ० - [illegible],
वि० खं०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

शीला देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत नौरा,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)
उत्तराखण्ड

चन्द्रराम
प्रधान
ग्राम पंचायत बघाड़,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)
उत्तराखण्ड

पुष्पा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बलमा,
वि० ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

2.241A

(3क)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। कि लोकनिर्माण विभाग द्वारा जो ढकोली बैगु से ठांणा मठेना तक सड़क का सर्वेक्षण कार्य हुआ है। इसमें ग्राम पंचायत ढैली, नौरा लखभा वड्यूड़ा व ठांणा मठेना को कोई आपत्ति नहीं है।

नारायणराम
ग्राम प्रधान,
ग्राम पंचायत वड्यूड़ा,
वि०ख०-लमगड़ा, जिला-अल्मोड़ा

पुष्पादेवी
प्रधान

प्रीतादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत नौरा,
वि०ख० लमगड़ा (अल्मोड़ा)
उत्तराखण्ड

प्रधान
ग्राम पंचायत ढैली,
पो०

Photocopy allowed
Sajay

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.25

प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं प्रांकल्लन

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.26

अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यो का विवरण

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0 2.27

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
जागेश्वर सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक

~~संलग्नक~~ सं-2.26

(41)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 34/ए–1/कुमायूँ/2009 दिनांक, 12–02–2009

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में टकोलीबैण्ड–बड़यूरा–बलमा मोटर मार्ग के 17.00 किमी. सड़क संरेखन का भूगर्भीय निरीक्षण।

जनपद अल्मोड़ा में टकोलीबैण्ड–बड़यूरा–बलमा मोटर मार्ग के 17.00 किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी0–34/सड़क संरेखन/कुमायूँ/2009 की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

12.2.09

(मणि कर्णिका मिश्र)
भू–वैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा।

पत्रांक 34/ए–1/कुमायूँ/2009 तद्दिनांक,
प्रतिलिपि :–

1. 1. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
3. भू–वैज्ञानिक लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

भू–वैज्ञानिक
लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

2.28A
(42)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी–34/सड़क संरेखन /कुमायूँ/2009

जनपद अल्मोड़ा में टकोलीबैण्ड–वड्यूरा–बलमा मोटर मार्ग के 17.00 किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

फरवरी, 2009

2.288

(43)

जनपद अल्मोड़ा में टकोलीबैण्ड–बड़यूरा–बलमा मोटर मार्ग के 17.00 किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1– प्रस्तावना :–

प्रान्तीय खण्ड,लाक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा जनपद अल्मोड़ा में टकोलीबैण्ड–बड़यूरा–बलमा मोटर मार्ग के 17.00 किमी. भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता के अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 11.02.2009 को श्री संजय कुमार पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री के0एन0 सती, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण स्थल की संरचना एवं बनावट, भूगर्भीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सकें।

2– स्थिति :–

1. यह सड़क संरेखन जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के किमी. 34 से प्रारम्भ होता है ।
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, टकोलीबैण्ड 29° 32' 54" अक्षांश तथा 79° 45' 05" देशान्तर पर स्थित है।

3– भूगर्भीय स्थिति :–

यह सड़क संरेखन कुमायूँ लेसर हिमालय के अन्तर्गत अल्मोड़ा वर्ग के गेनाइट–ग्रेनोडायोराइट एवं सरयू फारमेशन के अन्तर्गत फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सफेद रंग की महीन एवं मोटे परत वाली, 3 प्रकार ज्वाइट से पूर्ण, ग्रेनाइट नाइस–शिस्ट–क्वार्टजाइट चट्टानें, पूर्वोत्तर दिशा के झुकाव के साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर है।

चट्टानों के ऊपर डेब्रिस फार्मेशन विद्यमान हैं । डेब्रिस के ऊपर मिट्टी की पर विद्यमान है। मिट्टी के ऊपर घास आदि विद्यमान है। चट्टानों मे किया गया अध्ययन निम्नवत है ।

1.	130–310 /	पूर्वोत्तर	/ 35°	नति
2.	130–310 /	पूर्वोत्तर	/ 37°	नति
3.	130–310 /	पूर्वोत्तर	/ 39°	नति
4.	50–230 /	दक्षिणपूर्व	/ 70°	ज्वाइंट
5.	50–230 /	दक्षिणपूर्व	/ 72°	ज्वाइंट
6.	50–230 /	दक्षिणपूर्व	/ 74°	ज्वाइंट
7.	120–300 /	दक्षिणपश्चिम	/ 55°	ज्वाइंट
8.	120–300 /	दक्षिणपश्चिम	/ 57°	ज्वाइंट
9.	120–300 /	दक्षिणपश्चिम	/ 59°	ज्वाइंट

इस संरेखन क्षेत्र में चट्टानों में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत है :–

घास आदि
मिटटी की परत
डेब्रिस
ग्रेनाइट
नाइस
नाइस
शिश्ट
शिश्ट
शिश्ट
क्वार्टजाइट

इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में दक्षिणपूर्व, पूर्वोत्तर, दक्षिणपश्चिम दिशा में हैं।

4. स्थल वर्णन :–

यह सड़क संरेखन अल्मोड़ा–शहरफाटक मोटर मार्ग के किमी. 34 से प्रारम्भ होकर मुंडेश्वर पुल के बीच 17.00 किमी. लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर 200 मी0 पश्चिमोत्तर दिशा का पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद संरेखण पूर्वोत्तर दिशा का दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ 4.00 किमी0 जाता है। उसके बाद संरेखण पश्चिमोत्तर दिशा को दक्षिणपश्चिम दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ 9.00 कि0मी0 के अन्त तक जाता है। कि0मी0 10.00 से 12.00 तक का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर है। कि0मी0 13.00 से 14.00 तक का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। किमी0 15.00 से 17.00 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा के साथ है।

इस संरेखण के किमी. 1 में टकोलीवैण्ड एवं प्राईमरी पाठशाला, किमी0–2 में औली गांव किमी0–3 में कमारी मन्दिर, किमी0–4 में जौरा गांव तथा प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है, किमी0 7 में छतौला गांव व प्राइमरी पाठशाला, किमी0 9 में बलमा गांव व प्राइमरी पाठशाला, कि0मी0 10 में मेलखोल गांव, कि0मी0 12 में उड़यूरा गांव तथा प्राइमरी पाठशाला, कि0मी0 14 में मठेना गांव व प्राइमारी पाठशाला, कि0मी0 में मुंडेश्वर पुल विद्यमान है। इसमें कुछ पेरीनियल नाले विद्यमान है।

इस संपूर्ण संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप भूमि में तथा शेष भाग नाप भूमि में से होकर गुजरता है। इस संरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान है। नाप भूमि में मिटटी के नीचे चटटाने विद्यमान है। इस संरेखण में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नही है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखण स्थल देखे गये जिसमें से प्रथम संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है। द्वितीय संरेखण स्थल में अधिक ढलों की उपस्थिति, तीव्र पहाड़ी ढलान तथा कुछ भू–स्खलन के विद्यमान होने के कारण, भूगर्भीय

एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से अनुचित एवं अनुउपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है।

5. स्थायित्व का विचार :–

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बनावट स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकंपीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह भूकम्पीय क्षेत्र हैं।
3. पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
4. इसमें कई ग्राम विद्यमान है।
5. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग एवं बेनाप भूमि से गुजरता है।
6. इसमें कई सूखे नाले विद्यमान है।
7. पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में।
8. इस संरेखण के किमी0–3 में एक परिनियल नाला विद्यमान हैं।
9. इसमें कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नही है।
10. इसमें कई प्राइमरी पाठशालाएं एवं मंदिर विद्यमान हैं।

6– सुझाव :–

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बनावट स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते है।

1. पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
2. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर/ कलर्वट/ कॉजवे का निर्माण किया जाय।
3. मिट्टी/डेब्रिस/गॉव वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिग वाल का निर्माण किया जाय।
4. मिट्टी वाले भाग में मार्ग के बाहय भाग को ऊचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में मार्ग को पार कर पानी न बह सकें तथा मार्ग यथावत बना रहें।
5. किमी0–3 के परिनियल नाले के ऊपर 12 मीटर विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।
6. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।
7. गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय
8. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले पुलों के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
9. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
10. अन्य आवश्यक उपाय जो संरेखन क्षेत्र में मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

2-28E
(45A)

7. निष्कर्ष

1. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।
2. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर स्थल निरीक्षण के दिन सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।

12.2.09

छाया प्रति सत्यापित

(मणि कर्णिका मिश्र)
भू-वैज्ञानिक
कार्या० मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.29

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill

slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.30

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. यांचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग. अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सां0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वनं भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समंझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.31

मानक शर्तो का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो का अनुपालन प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जायेगा।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.32

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.33

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

वनक्षेत्राधिकारी
जागेश्वर सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

तहसीलदार
अल्मोड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.34

प्रपत्र–38

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.35

प्रपत्र–39

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसौई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.36

प्रपत्र–40

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

कम सं0	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या
1	ढैली	96	1025
2	औली	20	454
3	नौरा	22	116
4	छतोला	32	311
5	बलमा	46	294
6	बड़यूड़ा	200	966
7	ठाणा मटेना	35	396
	योग	**451**	**3562**

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.37

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है–

1. ईको–क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व .4
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 939000=00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 10.0688 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 9454603=00

वनक्षेत्राधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.38

प्रपत्र–51

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.39

प्रपत्र–41

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.40

वन भूमि की लीज अवधि का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.41

आर0सी0सी पीलरों के सीमांकन का प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.42

आर0सी0सी पीलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

NA

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड़यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई– 17.00कि0मी0

संलग्नक सं0–2.43

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र

NA

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद अल्मोडा में टकोली बैण्ड से बलमा–बड्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00 कि0मी0
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	पत्रावली में संलग्न है
	ग) परियोजना की लागत।	595.00 लाख
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक स्थान निरस्त किये गये।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	प्रमाण पत्र संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणं।	सिविल वेनाप भूमि – 5.8488 है0 आरक्षित वन भूमि – 4.2200 है0 नाप भूमि – 5.2312 है0 **कुल भूमि – 15.3000 है0**
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।
	क) परिवारों की संख्या	शून्य
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं है।

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान–अल्मोड़ा

(ई0 चन्दन सिंह नेगी)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

अध्याय–3
वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारुप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रकिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15–08–2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल **www.moef.nic.in** पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने है तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने है।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग–अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण–पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची
सारणी–12

क0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	–
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्याँकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	—
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
35.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों।	44.	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	47.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	50.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी0एफ0ओ0 /	डी0एफ0ओ0 /

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	–
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी–13

क0सं0	प्रपत्र का विषय.	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़को के चौडीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौडे किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	–

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी–14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयंम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

सलग्नक संख्या 2.44

अध्याय–3

वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गठन हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं उनका प्रारुप

3.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को ऑन लाईन (Online) प्रेषित किये जाने की प्रकिया आरम्भ की गयी है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 15–08–2014 से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल **www.moef.nic.in** पर ऑन लाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रति तैयार की जानी है, जिसमें समस्त सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने है तथा इन प्रपत्रों/सूचनाओं में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की सहमति/हस्ताक्षर प्राप्त किये जाने है।

प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा ऑन लाईन अपलोड किये जा रहे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनायें संलग्न नहीं की जा रही हैं व अधूरा प्रस्ताव ऑन लाईन नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है, अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है।

3.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण एवं अलग–अलग प्रयोजनों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण–पत्रों की सूचना निम्नानुसार संलग्न की जा रही है।

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची

सारणी–12

क्र0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	—
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0/जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0/जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक/

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्को / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	—
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
35.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों।	44.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0एफ0ओ0
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण–पत्र।	47.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	50.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
54.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
56.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0/ प्रस्तावक
	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व	55.	डी0एफ0ओ0/	डी0एफ0ओ0/

58.	कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।		उच्चस्तरीय समिति	प्रस्तावक
59.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56.	प्रस्तावक	–
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

3.3 सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले अतिरिक्त प्रपत्र एवं सूचनायें

सारणी–13

क0सं0	प्रपत्र का विषय.	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	सड़को के चौडीकरण के मामलों में पूर्व निर्मित मार्ग एवं चौडे किये जाने वाले मार्ग के भाग को बार चार्ट में अलग से दर्शाया जाना।	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
2.	पूर्व में निर्मित मार्ग की स्वीकृति।	2	प्रस्तावक	–

3.4 सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिरक्त प्रपत्र एवं सूचनाये।

सारणी–14

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1	2	3	4	5
1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना समतुल्य वन भूमि की बनायी जानी है।	1	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु यदि सिविल सोयम भूमि उपलब्ध न हो तो अवनत आरक्षित वन भूमि में दसवर्षीय योजना।	2	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0